पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 146/2024 दिनांक- 05.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति

आजमगढ़ पुलिस द्वारा गुम हुए कुल 101 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 16 लाख रूपया) किया गया बरामद; वर्ष 2024 में अब तक कुल 261 एण्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद कर स्वामियों को किये जा चुके है सुपुर्द।

➡ **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा माह फरवरी 2024 से गुमशुदा मोबाइल बरामदगी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा सी0ई0आई0आर पोर्टल पर आनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है।

➡ आजमगढ़ पुलिस द्वारा **माह फरवरी व मार्च 2024 में कुल 160 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 25 लाख रुपये) बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपूर्द किये जा चुके है।** जिसके क्रम में-

➡ **माह अप्रैल 2024 में आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद में गुम हुए कुल 101 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 16 लाख रूपया) को सी0ई0आई0आर0 पोर्टल के माध्यम से बरामद** किया गया हैं।

➡ आज दिनांक 05.05.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा बरामद एण्ड्रायड मोबाइल फोन प्रत्येक को स्वामियों को सुपुर्द** किया गया।

➡ इस तरह **विगत 03 माह में कुल 261 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 41 लाख रूपये) को बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द** किया गया है।

➡ उक्त मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु **D.C.कम्प्यूटर आपरेटर आशिष पाण्डेय के नेतृत्व में जनपद के समस्त थानों के कम्प्यूटर आपरेटर/सीसीटीएनएस आरक्षियों** द्वारा गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी की गयी है।

साइबर सेल
बैंक ट्रान्जेक्शन के माध्यम से ट्रैक कर युवती को किया गया बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक 25.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली पर शिकायत किया गया था कि वादी की भतीजी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है तथा वादी की भतीजी कोई फोन अथवा इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस भी नही ले गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 244/2024 धारा 366 भादवि0 पंजीकृत कर युवती की तलाश प्रारम्भ की गयी।

बरामदगी का विवरण-

अहता/पीडिता युवती के पास मोबाइल फोन अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रानिक डिवाइस न होने के कारण युवती के यूनियन बैंक के खाता संख्या को साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा लगातार ट्रैक किया जा रहा था।

➡ दिनांक 27.04.2024 को युवती द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकाला गया। जिसके ट्रान्जेक्शन आइडी को ट्रैक करने से ज्ञात हुआ कि युवती द्वारा जौनपुर के बदलापुर पड़ाव C.S.C. से पैसा निकाला गया है।

➡ इस सूचना पर चौकी प्रभारी रोडवेज उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द व मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल साइबर सेल, द्वारा C.S.C. बदलापुर पड़ाव के सीसीटीवी फुटेज से युवती की पहचान कर आस-पास के क्षेत्रों में युवती की तलाश की गयी। जिसके क्रम में-

➡ दिनांक 01.05.2024 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द व मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल, द्वारा युवती को जनपद जौनपुर के बदलापुर पडाव से बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मेंहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत जबरदस्ती शादी करने की बात को लेकर जानलेवा हमला करने अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 50 हजार का नकद पुरस्कार घोषित

दिनांक- 04.05.2024 को पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार द्वारा दिनांक- 23.04.2024 को थाना मेंहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत जबरदस्ती शादी करने की बात को लेकर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में **थाना मेंहनाजपुर पर पंजीकृत 1.मु0अ0सं0- 59/2024 धारा 307, 506 भादवि0, 2.मु0अ0सं0- 61/2024 धारा 505 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित/फरार अभियुक्त अभिषेक सिंह पुत्र सत्यप्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना निवासी असवानिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर पर 50 हजार रुपयें का नकद पुरस्कार घोषित** किया गया हैं।

थाना जहानागंज

डी-238 के गैंग लीडर अब्दुल मन्नान व इसके सदस्य मो0 अन्जर द्वारा हवाला कारोबार से अर्जित कुल चल सम्पत्ति 65 लाख रूपयें (50 लाख रूपये नगद व 01 हुण्डई क्रेटा कार कीमत लगभग 15 लाख रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क

1- थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 58/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल मन्नान पुत्र एहरार अहमद निवासी ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ जो मारपीट, हत्या के प्रयास व हवाला कारोबार जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है तथा यह गैंग डी-238 का लीडर है। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से वाहन हुण्डई क्रेटा कार नम्बर- यूपी 32 NU 1376 वर्ष 2023 में क्रय किया गया है। जिसकी कीमत 14,80,000/- रूपये है।

2- थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 58/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अन्जर पुत्र अफजल अहमद निवासी ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ जो हवाला कारोबार जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है तथा यह गैंग डी-238 का सदस्य है। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हवाला कारोबार का अपराध कारित कर अवैध रूप से नकद धनराशि 50,00,000/- रूपये अर्जित किया गया है।

➡ उपरोक्त दोनों चल सम्पत्ति 65 लाख रूपयें को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 03.05.2024 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर दिनांक 04.05.2024 को उक्त सम्पति को थाना प्रभारी जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा नियमानुसार जब्त किया गया।

थाना जहानागंज

हैण्डपम्प बोरिंग के नाम पर ठगी करने वाला 25 हजार रूपये का इनामिया अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी गिरफ्तार; कूटरचित आधार कार्ड बरामद।

पूर्व की घटना-

दिनांक को 10.08.23 को वादी मुकदमा पंकज कुमार पुत्र रामधारी साकिन नीबी बुजुर्ग, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी शुभम चौधरी हाल पता सेक्टर 11, नोएडा, उ0प्र0 के मोबाइल नं0 93351xxxxxx व 90587xxxxx द्वारा वादी मुकदमा से सरकारी स्कीम के तहत जहानागंज ब्लाक के गाँवो में हैण्डपम्प बोरिंग कराने को कहकर वादी मुकदमा से विभिन्न गाँवो में 132 बोरिंग करा लेने जिसका खर्च 15 लाख रुपया आने व मात्र मजदूरी में केवल 30 हजार रुपया ही देने तथा शेष रुपया मांगने पर शासन से भुगतान होने पर देने को कहकर टाल मटोल करना तथा बाद में मोबाइल से कई बार फोन करने पर फोन भी न उठाने व अब तक रुपया न देने के संम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 557/23 धारा 406, 420 आईपीसी विरुद्ध विपक्षी शुभम चौधरी हाल पता सेक्टर 11, नोएडा, उ0प्र0 के मोबाइल नं0 9335149624 व 9058767864 के पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्रा के द्वारा संम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 5.5.24 को प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संम्बन्धित अभि0 शुभम चौधरी के द्वारा बोरिंग करवाकर 150000 रूपये लेकर फ्राड कर के भाग गया है उक्त अभि0 आज सठियाव ब्लाक मे फिर किसी को इसी तरह फ्राड कर के फंसाने के लिये आया है, उक्त व्यक्ति रामपुर तिराहे पर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल रामपुर तिराहे पर पहुँची जहां पर सठियाव रोड की तरफ बाई पटरी पर कोने के पास खड़े एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम शुभम चौधरी पुत्र दयानन्द चौधरी निवासी महरौली जनपद मेरठ बताया। उसके कब्जे से 02 आधार कार्ड बरामद हुआ पहले आधार कार्ड को देखा गया तो उक्त आधार कार्ड मे नाम शुभम चौधरी पुत्र दयानन्द चौधरी निवासी महरौली जनपद मेरठ जन्म तिथि 1.02.1979 आधार कार्ड न0 802736xxxxxxx है तथा दूसरे आधार कार्ड मे रुकबान अली पुत्र आबाद अली निवासी बहेरी थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फर नगर जन्म तिथि 1.02.1979 आधार कार्ड न0 802736xxxxxx है दोनो आधार कार्ड रखने के बारे मे कड़ाई से पूछताछ में बताया कि साहब मेरा असली नाम रुकबान अली पुत्र आबाद अली निवासी बहेरी थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फर नगर है। मै सुभम चौधरी पुत्र दयाननन्द चौधरी के गलत नाम से यहा पर लोगो से ग्राम प्रधानो से ब्लाक पर जा जा कर बोरिंग का काम करवाता हूँ और अपना गलत आधार कार्ड के पते को लोगो को देता हूँ और उनसे बोरिंग कराने का झांसा देकर रूपया लेकर गायब हो जाता हूँ। आज फिर ब्लाक पर नये व्यक्ति को फसाने के लिये आया था कि आप लोग के द्वारा पकड़ लिया गया। उक्त व्यक्ति के पास से बरामद कूटरचित आधार कार्ड जिससे लोगो को धोखा देकर उनके रूपये लेकर अभि0 द्वारा फरार हो जाया जाता है, के आधार पर मुकदमे मे धारा 467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गयी तथा गिरफ्तार अभि0 रुकबान अली पुत्र आबाद अली निवासी बहेरी थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फर नगर को कारण गिरफ्तारी बताकर अन्तर्गत धारा 419/420/467/468/471 भादवि के अपराध का बोध कराकर पाकर बताकर समय करीब 11.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

उक्त अभि0 की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा पूर्व में 25000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त विभिन्न जनपदों में जाकर किराये का रूम लेकर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रहता है और उस जनपद के ब्लाकों में जाकर ग्राम प्रधानों की सूची एवं मोबाइल नम्बर प्राप्त करता है। ग्राम प्रधानों से अपना फर्जी नाम पता बताकर खुद को ठेकेदार बताता है और कहता है कि सरकारी हैण्डपाइप लगाया जाना है जिसके द्वारा बोरिंग के नाम पर ग्राम प्रधानों से पैसा वसूल कर फरार हो जाता है।

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0स0 557/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

बरामदगी- कूटरचित 02 आधार कार्ड।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. रुकबान अली पुत्र आबाद अली निवासी बहेरी थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फर नगर

आपराधिक इतिहास –

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	*04/24*	*420 भादवि*	*सिरौली*	*बरेली*
2	*90/24*	*420.406.504.507 भादवि*	*आवला*	*बरेली*
3	*579/23*	*504.506*	*मुबारकपुर*	*आजमगढ़*
4	*215/23*	*406*	*सैदनगली*	*अमरोहा*

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- प्र0नि0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

2- उ0नि0 श्री मदन गुप्ता थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

थाना- फूलपुर

चोरी गये मोबाइल व अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.05.2024 को उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी थाना फूलपुर आजमगढ़ मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान उदपुर रेलवे क्रासिग के पास रोड के किनारे ग्राम उदपुर से अभियुक्त सुलदीप पुत्र दयाराम निवासी उदपुर थाना फूलपुर आजमगढ को समय करीब 06.20 बजे एक कट्टा .315 बोर व दो जिन्दा कारतुस .315 बोर व एक चोरी का मोबाइल वीवो टी 2 एक्स सम्बन्धित मु0अ0सं0-155/2024 धारा 380/411 भादवि0 थाना फूलपुर,आजमगढ़ व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अपराध का बोध कराते हुए हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- सुलदीप पुत्र दयाराम निवासी उदपुर थाना फूलपुर आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

एक कट्टा .315 बोर व दो जिन्दा कारतुस .315 बोर

एक चोरी की एक मोबाइल वीवो टी 2 एक्स।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 -221/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट व मु0अ0सं0-155/2024 धारा 380/411 भादवि0 थाना फूलपुर,आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	221/2024	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
2	155/2024	380/411 भादवि0	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना तहबरपुर

डीजे पर गाना बजाने की बात को लेकर मारपीट में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः- वादी प्रमोद कुमार पुत्र रामचरन सा0 सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ ने थाना तहबरपुर पर लिखित तहरीर दिया कि वादी के भाई प्रदीप पुत्र रामचरन जो कि अपने दोस्तो दिवसलाल पुत्र राजकुमार उर्फ अशोक व प्रमोद पुत्र बिट्टू प्रसाद के साथ अपनी मो0सा0 संख्या UP 62 V 29xx से बारात मे ग्राम भुईधरपुर गया था, जहाx डीजे वाले के साथ डीजे बजाने को लेकर विवाद होने तथा अपने दोस्त दिवसलाल पुत्र राजकुमार उर्फ अशोक व प्रमोद पुत्र बिट्टू प्रसाद के साथ अपनी मो0सा0 नं0 UP 62 V 2xxx वापस आते समय रास्ते में विपक्षीगण द्वारा मो0सा0 UP50CM6xxx से पीछा करते हुए तहबरपुर बाजार मे घेरकर बास से मारकर प्रदीप की हत्या कर दी गयी तथा साथ मे आ रहे दिवस लाल व प्रमोद को मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में था। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 104/2024 धारा 302/307 भादवि बनाम 1. रोहित पुत्र अज्ञात 2.श्रेयांस पुत्र अज्ञात 3. सन्नी उर्फ अंकित पुत्र अज्ञात सा0 चकिदी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। विवेचना के क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरणः— दिनांक 05.05.2024 को थानाध्यक्ष मधुपनिका मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र सरोहन निवासी ग्राम चकिदी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को नैपुरा मोड़ नहर के पास से समय 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त 01 बांस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे पास डी0जे0 है जिसको मेरे द्वारा ही चलाया जाता है कि दिनांक 03.05.2024 को विशाल की शादी में मेरी डी0जे0 6500/ रूपये में बुक हुआ था, जिसको मै तथा मेरे साथी श्रेयांस कुमार पुत्र राजाराम व सन्नी उर्फ अंकित पुत्र सुबाष निवासी ग्राम चकिदी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ लेकर विशाल पुत्र रामनयन सा0 ग्राम सोनवारा थाना रानी का सराय जनपद आजमगढ़ की शादी में विनोद कुमार पुत्र गिरजाप्रसाद सा0 ग्राम भुईधरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के घर आये थे, डी0जे0 बजाने की बात को लेकर बराती के कुछ लड़को से हमारा विवाद हुआ था इसी बात पर मै तथा मेरे साथी श्रेयांस कुमार पुत्र राजाराम व सन्नी उर्फ अंकित पुत्र सुबाष निवासी ग्राम चकिदी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ गुस्सा होकर वापस जा रहे तीनो लड़के जिनसे झगड़ा हुआ था उनके तहबरपुर बाजार में घेरकर बास से मांर दिये, तीनो घायल हो गये थे जिसमें से एक सड़क पर पड़ा और वह मर गया है, तब तक आस पास के तमाम लोग जग गये और हम लोगो को दौड़ा लिए हमलोग वहा से भाग गये, मेरे साथी श्रेयांस व सन्नी उर्फ अंकित किस तरफ भागे मुझे पता नही वहा से भाग कर मै वहा से भाग कर रात में एक बागीचे में दिनभर छुपा था पुलिस के पकड़ने की डर से मै अपने घर नही गया। मेरे पास न तो पैसा था और नही मोबाईल कि किसी से सम्पर्क करू, रात होने पर निकलकर पैदल ही आजमगढ़ जा रहा था वहा से कोई व्यवस्था करके मुम्बई चला जाता। क्योंकि मैं मुम्बई में रहता हूँ।

पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 104/2024 धारा 302/307 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः- रोहित कुमार पुत्र सरोहन निवासी ग्राम चकिदी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

अपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगीः- एक रक्त रंजित आलाकत्ल बाँस बरामद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम- थानाध्यक्ष मधुपनिका मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना – फूलपुर

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत फूलपुर पवई-विधान सभा के स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा बरामद कुल 1,43,960/- रुपये

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत फूलपुर पवई-विधान सभा के स्थैतिक निगरानी टीम मजिस्ट्रेट श्री प्रमोद कुमार वर्मा (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) पुलिस अधिकारी उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह का0 बृजेश कुमार व म0का0 विनिता त्रिपाठी मय गाड़ी नं0- यूपी 50 एक्स 4200 के चालक रविकान्त यादव के साथ उपस्थित थाना हाजा आकर अवगत कराये कि थाना फूलपुर के ग्राम सतुवहिया थाना क्षेत्र फूलपुर-अहरौला बार्डर पर चेकिंग की जा रही थी कि पिकप नं0-यूपी 50 सीटी 0095 से खुरासो की तरफ से अहिरौला की तरफ जा रही थी रुकने पर इशारा किया गया तो नहीं रुका जिसे 10 मीटर आगे घेरकर रोक लिया गया जिसकी चेकिंग की गई को चेकिंग के दौरान वाहन चालक राधेश्याम के पास से 500 के 200 नोट, 200 के 148 नोट, 100 के 143 नोट,50 के 01 नोट व 10 के 01 नोट कुल 143960/ रुपये बरामद हुए। जिसको संबंध में पूछने पर राधेश्याम के द्वारा बताया गया कि सनोज का पैसा है,परन्तु बरामद रुपये के सम्बन्ध मे कोई कागजात प्रस्तुत नही कर सका ,जिस कारण पिकप नं0-यूपी 50 सीटी 0095 के चालक राधेश्याम के पास से कुल 143960/ रुपये को नियमानुसार कब्जा मे लिया गया।

बरामदगी– पिकअप नं0-यूपी 50 सीटी 0095 के चालक राधेश्याम के पास से (500 के 200 नोट, 200 के 148 नोट, 100 के 143 नोट,50 के 01 नोट व 10 के 01 नोट) कुल 143960/- रुपये

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1.श्री प्रमोद कुमार वर्मा (असिस्टेन्ट प्रोफेसर)
2. उ0नि0 अभिषेक सिंह
3.का0 बृजेश कुमार व म0का0 विनिता त्रिपाठी मय गाड़ी नं0- यूपी 50 एक्स 4200 के चालक रविकान्त यादव

थाना मुबारकपुर

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 05.05.2024 को थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ क्षेत्र के एक वादी मुकदमा द्वारा स्वयं की नाबालिग पुत्री को विजय चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी ग्राम लाड़ो द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं वादी के तलाश करने पर वादी मुकदमा की पुत्री सरसो के पौधों के ढेर मे दूधनाथ के घर के पास मिली तथा वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त विजय चौहान के परिवारीजनों से पूछने पर वादी मुकदमा को मारना पीटना एंव गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर मु0अ0सं0 171/2024 धारा 363/366/323/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ। विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 05.05.2024 को उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजय चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम लाड़ों थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को हाइवे ब्रिज के पास विजरवा शिवालिक मेडिकल कालेज के के पास से समय करीब 09.00 हिरासत पुलिस मे लिया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः- विजय चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम लाड़ों थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 171/2024 धारा 363/366/376/323/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह हे0का0 तेजबहादूर यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

थाना मुबारकपुर

गोकशी के मुकदमे मे 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व मे इनके 05 साथियों को भेजा जा चुका है जेल

पूर्व की घटना–

दिनांक 20.04.2024 को मोहल्ला पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ स्थित अब्दुल रउफ व अंसार हाजी के हाता मे अवैध रूप से मांस विक्रय करने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर मय हमराह पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर मौके से घटना कारित करने वाले कुल 08 अभियुक्त मे से 05 अभियुक्तों क्रमशः1. मोहम्मद जावेद पुत्र स्व0 मो0इशहाक निवासी बलुआ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 32 वर्ष 2.इरशाद अहमद पुत्र स्व0 जाफर निवासी मोहल्ला पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 3. अब्दूल रउफ पुत्र हाजी नूर मोहम्मद निवासी पुराखिजिर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 59 वर्ष 4. मो0 जाहिद पुत्र स्व0 मो0इस्लाम निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 45 वर्ष 5. खैरूल बरा पुत्र मो0 राशिद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को मौके पर ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्तगणों के कब्जे से 320 किग्रा पड़वा/भैंस का मांश 06 ठीहा 03 इलेक्ट्रानिक तराजू, 05 पीड़ा, एक 05 किग्रा का बाट, 7 चापड़, 9 चाकू, 06 सुमी, 03 , कुल्हाड़ी, 11 राशि पड़वा, 08 भैंस, 08 भैंस का बच्चा, एक राशि गाय व एक राशि बछड़ा एवं मांस बिक्री के 9720 रूपये की बरामदगी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 153/2024 धारा 429/34 IPC व 4/25 A Act , व 3/5A(10)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(ठ) पशु क्रूरता अधिनियम बनाम मोहम्मद जावेद पुत्र स्व0 मो0इशहाक निवासी बलुआ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ आदि 08 अभियुक्त पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव द्वारा की जा रही थी। अभियोग मे तीन नफर अभियुक्त क्रमशः 1. अबूशाद पुत्र अब्दुल रउफ निवासी पुराखिजिर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 2. अंसार अहमद पुत्र झिनक निवासी पुराखिजिर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 3. इरशाद अहमद उर्फ मुन्ना पुत्र नूरुल हक उर्फ झिनक निवासी पुराखिजिर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 04.05.2024 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त क्रमशः 1 . अंसार अहमद पुत्र नूरुल हक उर्फ झिनक निवासी पुराखिजिर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 2. इरशाद अहमद उर्फ मुन्ना पुत्र नूरुल हक उर्फ झिनक निवासी पुराखिजिर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को असरफिया यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे से से समय करीब 19.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अंसार अहमद पुत्र नूरुल हक उर्फ झिनक निवासी पुराखिजिर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2. इरशाद अहमद उर्फ मुन्ना पुत्र नूरुल हक उर्फ झिनक निवासी पुराखिजिर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

फरार अभियुक्तः- अबूशाद पुत्र अब्दुल रउफ निवासी पुराखिजिर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 153/2024 धारा 429/34 IPC व 4/25 A Act , व 3/5A(10)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(ठ) पशु क्रूरता अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव, हे0का0 मनोज कन्नौजिया, हे0का0 त्रिलोकी मौर्य, का0 उमेश प्रजापति थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ